न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/37

1. रमेश पुत्र चतुर्भुज आयु 48 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. चेतराम पुत्र चतुर्भुज आयु 43 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. पप्पू लाल पुत्र चतुर्भुज आयु 40 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण आयु 59 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. लड्डू लाल पुत्र बरधा आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. बदरा बाई पुत्री बरधा पत्नी महावीर आयु 40 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रामनारायण पुत्र किशना जाति धाकड (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. भंवर लाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड ।
   4/2. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासीगण बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. हीरा पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. रामधन पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. औंकार माता मोत्या बाई जाति धाकड निवासी ग्राम हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. प्रभू माता मोत्या बाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. रामरतन उर्फ रतन माता मोत्या बाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. जगदीश माता मोत्या बाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. धनपाल माता मोत्या बाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. मिश्रीलाल उर्फ रामेश्वर माता मोत्या बाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. भूला बाई माता मोत्या बाई पत्नी रामकुंवार जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

14. कैलाश बाई माता मोत्या बाई पत्नी बढीलाल जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम कांकरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. सुरजा बाई माता मोत्या बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. हेमराज माता धापू बाई जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. बद्री माता धापू बाई जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. प्रकाश माता धापू बाई जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
19. द्वारका माता धापू बाई पत्नी शंकर लाल जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
20. मसजीत पीर साहब स्थान बामनगॉव मौली छोटू फकीर निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
21. भूमिधारी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र मालवीय, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 21 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 02.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 03 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा में कुल 12 किता की रकबा 6.9655 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 01 लक्ष्मीनारायण व प्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 3 के पिता बरधा जिनकी मृत्यु हो चुकी है के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थीगण वर्तमान में काबिज रहकर कृषि करती चली आ रही है । ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 756 में कुल किता 09 की रकबा 7.3135 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 17 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है । ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा में खाता संख्या 431 में खसरा नम्बर 2906 रकबा 1.4400 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 17 मसजीत परी साहब के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है । चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2902 में जाने का वर्षों पुराना रास्ता बामनगॉव से गलगच माताजी से होती हुई रेठोदा जाने वाली ग्रेवल सडक के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में

वर्णित खसरा नम्बर 2906 व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बर 2904 की उत्तरी मेड पर होता हुआ नकल रहा है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से करते चले आ रहे हैं उक्त रास्ते के अलावा उक्त भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 17 ताकत के बल पर उक्त रास्ते का बन्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । उक्त रास्ते का प्रार्थीगण ने नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित किया हुआ है । नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 3 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2906 एवं खसरा नम्बर 2904 की उत्तरी मेड के सहारे होकर 15 फीट चौडा पश्चिम से पूव्र सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा नम्बर 2902 तक पहुंचने का रास्ता कीमतन प्रार्थीगण को दिलाया जावे तथा उसका अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में किया जावे साथ अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाले रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.12.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 2906 में से रकबा 02 गठ्ठा * 34 गठ्ठा = 68 वर्ग ग्ठा भूमि, खसरा नम्बर 2904 में से रकबा 02 गठ्ठा * 75 गठ्ठा = 150 वर्ग गठ्ठा भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट रामधन को सूचना व सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए पूर्णतया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी जिसमें आगामी पेशी दिनांक 02.12.2021 नियत थी परन्तु पत्रावली दिनांक 02.12.2021 को ही प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प बामनगॉव में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.12.2021 को अपने अधिवक्ता द्वारा बताने पर हुई जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया । दिनांक 20.01.2022 को नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट कम 06 रामधन की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2020 से क्रय किया हुआ है जिसके नामान्तरकरण की प्रक्रिया विचाराधीन है जिसके सम्बन्ध में जमाबन्दी पर भी नोट अंकित है फिर भी परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । पूर्व खातेदार रामधन की भी अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट एवं खातेदार रामधन को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं, अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज करते हुए नोटिस जारी किये थे । अपीलान्ट को जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 19 फरवरी, 2020 को अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं पत्रावली वास्ते जवाब एवं शेष पक्षकारान की तलबी में नियत रही । इसके पश्चात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 26 फरवरी, 2020 को भी वास्ते तलबी शेष पक्षकारान एवं जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 01.04.2020 नियत की गई । उक्त पेशी के बाद से ही कोरोना महामारी के कारण न्यायालय में उपस्थिति बन्द हो गई तथा सामान्य आवागमन बन्द हो गया उसके दिनांक 19.10.2020 को पत्रावली बिना जवाब के व बिन तहसील की रिपोर्ट प्राप्त किये पत्रावली बहस में नियत कर दी और दिनांक 28.10.2020 को अपीलान्ट की स्वयं की एवं अधिवक्ता की अनुपस्थिति में तथा अपीलान्ट की बहस सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट आने पर ही आपत्ति व दस्तावेज प्रस्तुत किया जाकर पूर्व के रास्ते की स्थिति का अवलोकन कर दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करना था जबकि इस तरह के प्रार्थना पत्र में जब तक पूर्व में आने–जाने का रास्ता मौजूद हो या कोई वैकल्पिक रास्ता हो या सबसे नजदीक सुलभ रास्ता हो, इन सब तथ्यों का निर्धारण भली–भांति किया जाना आवश्यक है । उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट कम 01 के लिए पूर्व से ही पक्का रास्ता सुलभ रहा है जो मैन रोड से लिंक है जिससे होकर रेस्पोडेन्ट कम 01 हमेशा से ही आता–जाता रहा है । अपीलाधीन आदेश के तहत जिस भूमि पर से रास्ता दिया गया है वह अपीलान्ट के खातेदारी की आराजी है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील काफी विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं हैं ।

अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उक्त अपील विलम्ब से पेश की है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट सोभाग को प्रोपर नोटिस तामील हुए हैं। परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.10.2020 के अनुसार बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । इस प्रकार अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय ने उपस्थित है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सम्पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्ग बारानी मृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 10 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 01 बिस्वाभूमि, खसरा नम्बर 184 रकबा 13 बिघा 05 बिस्वा किसम बारानी तृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 03 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 03 बिस्वा भूमि नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणागुण के आधार पर खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । माननीय उच्च न्यायालय के नोटिस दिनांक 29.09.2021 जिसमें कोराना महामारी के कारण डिले में कण्डोन किये जाने बाबत् आदेश हैं की रोशनी में अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अपने कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ता प्रदान कर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.12.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 2906 में से रकबा 02 गठ्ठा * 34 गठ्ठा = 68 वर्ग ग्ठा भूमि, खसरा नम्बर 2904 में से रकबा 02 गठ्ठा * 75 गठ्ठा = 150 वर्ग गठ्ठा भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट कम 06 रामधन की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.06.2020 के द्वारा कय की जिसकी नामान्तरकरण प्रकिया विचाराधीन है । अपीलान्ट ने पक्षकार रामधन को अधिकारों से वंचित होने का कथन किया है जबकि रामधन ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है । अपील में कथन किया है कि पूर्व में रास्ता होने के तथ्य को नजर अन्दाज किया है, परन्तु मौका रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का स्पष्ट अंकन है । हमने अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय में हाजा में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया ।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्ध नहीं होता है कि वे उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। अपीलान्ट यह भी सिद्ध नहीं कर पाये कि वे रास्ते में दी जाने वाली भूमि पर काबिज हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 2906 में से रकबा 02 गठ्ठा * 34 गठ्ठा = 68 वर्ग ग्ठा भूमि, खसरा नम्बर 2904 में से रकबा 02 गठ्ठा * 75 गठ्ठा = 150 वर्ग गठ्ठा भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा जिन खसरा नम्बर में होकर रास्ता कायम किया है वह उनसे किस प्रकार व्यथित है ? यह सिद्ध नहीं कर पाए । इस प्रकार अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित /पीडित पक्षकार होना प्रतीत नहीं होता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी भी स्वीकार योग्य नहीं है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा